



स्टाम्प शुल्क अंकन- 800/-रूपये

मैं देशराज सिंह पुत्र हंसराज सिंह निवासी-: शुक्लपुरदहिलामऊ, पोस्ट-प्रधान डाक घर, तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़ का हूँ, जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है। जिसके लिए व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन- 11000/-रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन- 11,000/-रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि:-

*Handwritten signature*

contd....2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475670

( 2 )

- 1- यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम श्री एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ( SHRI EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST )
- 2- यह कि उक्त पंजीकृत व प्रशासनिक कार्यालय ग्राम- शकुलपुर, दहिलामऊ, पोस्ट-प्रधान डाक घर, तहसील-सदर, जिला प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
- 3- यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन-11,000/-रु० जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ग्रहण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।
- 4- यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व

*P. S. Singh*

contd...

कम नं. 1315 दिनांक 12-7-14  
 नं. 1314  
 नं. 1314

श्री. देवराज सिंह  
 नं. 28  
 बसिन्स-2014-15

11,000.00 यास पर 110.00 20 130.00 800  
 भ्राम की रजि. श्री देवराज सिंह  
 पुत्र श्री देवराज सिंह  
 पेशा व्यापार  
 निवासी श्री कुलपुर दहिसामऊ सदर प्रतापगढ़  
 जिला पल्लो  
 ने पर लेखापत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/5/2015 पर 2:50PM  
 बने निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
 सुशील कुमार  
 उप निबन्धक सदर  
 प्रतापगढ़  
 5/5/2015

निष्पादन लेखापत्र बाद मुने व समझने मुद्रापुर  
 श्री देवराज सिंह  
 पुत्र श्री देवराज सिंह  
 पेशा व्यापार  
 निवासी श्री कुलपुर दहिसामऊ सदर प्रतापगढ़



ने निष्पादन स्वीकार किया।  
 निबन्धी परवान श्री अमिषेक मिश्र  
 पुत्र श्री सतीशचन्द्र मिश्र  
 पेशा व्यापार  
 निवासी आवास विकास कालोनी प्रतापगढ़  
 व श्री तिरेश मिश्र  
 पुत्र श्री सलमान मिश्र  
 पेशा व्यापार  
 निवासी श्री कुलपुर दहिसामऊ प्रतापगढ़  
 ने की।

अमिषेक मिश्र


सलमान मिश्र



प्रकल्पना पर लक्षिकों के निजान अंगुठे निबन्धनान विधे गये हे।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
 सुशील कुमार  
 उप निबन्धक सदर  
 प्रतापगढ़  
 5/5/2015

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475669

(3)

सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

- 5- यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 6- यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य-

- (1) मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।
- (2) इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना व संचालन करना।

*Peshu Singh*

contd...4

क्र. सं. 1316 दि. 11-7-14 52/1  
11-7-14  
1314

वि. सं. 121 दि. 11-7-14  
11-7-14  
प्रतिबद्ध - प्रतापगढ़  
न्यासी

Registration No.: 52

Year: 2015

Book No.: 4

0101 देवराज सिंह  
हंसराज सिंह  
रुकुलपुर दहिलानऊ सदर प्रतापगढ़  
ध्यापक



Ⓢ

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये  
रु. 50



FIFTY  
RUPEES  
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475668

( 4 )

- (3) कम्प्यूटर कोचिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।
- (4) बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- (5) लड़के व लड़कियों के लिए अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
- (6) स्कूल, कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
- (7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
- (8) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
- (9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का

*Pesaj Singh*

contd....5

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475667

(5)

प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

- (10) सभी प्रकार की फिल्मों, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना। तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रिया-कलाप करना।
- (11) धर्मशाला, आश्रम, क्लेस, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिए धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।
- (12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।
- (13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रावोइड करवाना।

*Peshy*

contd....6

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475666

(6)

- (14) समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे करना ।
- (15) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना ।
- (16) गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना ।
- (17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना ।
- (18) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना ।
- (19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना । सहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो । खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़ें ।

*Asst. Dir.*

contd...7





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 475665

(7)

- (20) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना ।
- (21) स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना ।
- (22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना ।
- (23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना ।
- (24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना ।
- (25) यह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो ।
- (26) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना ।

*Devi Gid*

contd...8

- (27) यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके ।

कार्यक्षेत्र -


7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा ।

ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन

- (क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति (चल व अचल) ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी । जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा । ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बंधक रख सकता है । ट्रस्ट/संस्था की ओर से आवश्यक शपथ-पत्र/प्रति शपथ-पत्र या विलय पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से प्रबन्धक व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे ।
- (ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा । संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा ।
- (ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 02 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किये जायेंगे ।
- (घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे ।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति -

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा ।



9. यह कि स्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर ल्याग कर सकते हैं ।
10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टीगणों ने ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने में से प्रबन्धक व सचिव नियुक्त कर लिया है । अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा प्रबन्धक व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा । बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।
11. यह कि देशराज सिंह पुत्र हंसराज सिंह उपरोक्त ट्रस्ट के प्रबन्धक व श्रीमती सोनी सिंह पत्नी देशराज सिंह, निवासी ग्राम-शुकुलपुर दहिलामऊ, पोस्ट-प्रधान डाक, घर, तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़ उक्त उपरोक्त की प्रथम सचिव होंगी। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार प्रबन्धक एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी प्रबन्धक एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे । प्रबन्धक एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे । उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा । यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग-पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा । यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग-पत्र देता है और उसे सचिव व प्रबन्धक की सहमति से स्वीकार किया जायेगा । ऐसी दशा में त्याग-पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे ।

1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे -


**प्रबन्धक -** ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना ।

**सचिव -** ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से संचालित करना । सभी बैठकों को समयानुसार व प्रबन्धक के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख प्रबन्धक से सत्यापित कराना ।

*Desai*

अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना । ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना । ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना ।

2. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे - न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋणों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से प्रबन्धक व सचिव करेंगे । किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं प्रबन्धक एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे । यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रबन्धक व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा ।
3. यह कि प्रबन्धक व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी । साधारणतः ट्रस्ट के प्रबन्धक, सचिव ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष प्रबन्धक, सचिव होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है ।
4. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेंट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
5. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा ।
6. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा । प्रबन्धक एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार / ऋण / बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाम के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय


*Pashy*  contd....11

करने का अधिकार भी होगा । प्रबन्धक व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सन्धि प्रकार के शेररों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

7. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क़य करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा
8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा । यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा । स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती । ट्रस्ट के सन्धि महत्वपूर्ण कार्यों में प्रबन्धक व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी ।
9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा
10. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्ति की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण, बैंकर, बलाल, एजेंट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे ।



11. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सगी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं । उक्त सगी बैंकिंग एकाउन्ट्स-खातों व अन्य सगी बैंकिंग खातों का संचालन प्रबन्धक एवं सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा ।
12. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा । ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रबन्धक व सचिव को होगा । प्रबन्धक एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के प्रबन्धक एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा ।
13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
14. यह कि प्रबन्धक एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजान्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि प्रबन्धक व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।
15. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके । ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे । प्रबन्धक एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा । प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा । जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा ।
16. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे



17. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी ।
18. यह कि एतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये ।

मुकिर देशराज सिंह के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

*Desraj Singh*



Abhishek Misra S/o Satish Chandra  
Misra Ro- A-102 AVAS VIKAS  
Colony Pratap Garh (U.P.)  
PIN- 230004

Ritesh Misra S/o Sri Lal Mani  
Misra  
Vill. Shukulpur Dehlonou  
Pratapgarh.

आज दिनांक 05/05/2015 को  
वही सं. 4 जिन्द सं. 70  
पृष्ठ सं. 253 से 278 पर क्रमांक 52  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*S. Kumar*

सुशील कुमार

उप निबन्धक सदर

प्रतापगढ़

5/5/2015

